

कार्यालय, आयकर निदेशक (छूट)
छठी मंजिल, पीरामल चैम्बर्स, लालबाग मुंबई ४०००१२

आदेश संख्या : आ.नि.(छूट)/मु.न./४०-G/2398/2007/2008-09

निर्धारित का नाम और पता : K.C. MAHINDRA EDUCATION TRUST
CECIL COURT, 3RD FLOOR,
MAHAKAVI BHUSHAN MARG,
MUMBAI 400 001

12A रजिस्ट्रेशन सं. : TR/21/73-74 dated 18/03/1974
आवेदन की तारीख : 10/03/2008
स्था.जे.सं : AAA TK 0315 Q
आदेश की तारीख : 21/08/2008

**आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र (01/04/2008 से 31/03/2011 तक वैध)
(प्रारंभिक /नवीकरण)**

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए लघुओं के अधिलोकन /आवेदक के मामले की भुनगार्ह के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि उक्त संरक्ष ने आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत उपधारा (५)के धी शर्तों को पूरा किया है. निम्नांकित किसी शर्त की अवलंब बुसपयोग कमी या उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार ये सुविधाएँ दाता संस्थान द्वारा जप्य कर ली जायेगी. संस्था धं ८०-जी की यह छूट निम्न शर्तों पर ली जाती है

- i) संस्था अपनी लेखा पुस्तकें नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी (5) (iv) के अधीन - धारा १२७ (बी) - के अनुपालन के साथ करवायेगी.
- ii) बानबाताओं धी ली जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित की जायेगी और उस पर यह रूप से छपवाया जायेगा कि यह प्रमाणपत्र कब तक वैध है.
- iii) न्यास /संस्था के विलेख (deed)में परिवर्तन धंनूनी प्रक्रिया के अनुसार ही किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को लक्षज ली जायेगी.
- iv) यदि संस्था धारा ८०-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा १२७(ए), धारा १२७(५)(बी)के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा किसी व्यवसायिक गतिविधि चलाने के लिए संस्था को अलग से लेखा पुस्तकें रखनी होंगी.साथ ही ऐसी गतिविधि शुरू होने की तारीख के एक माह के भीतर उसकी सूचना इस कार्यालय को देनी होगी.
- v) धारा ८०-जी के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त बानराशि का किसी व्यवसाय हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जायेगा
- vi) संस्था बानबाता को प्रमाणपत्र जारी करते समय ऊपर वर्णित प्रतिबद्धता का आबध करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणपत्र का बुसपयोग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग न हो.
- vii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी गैर न्यासी प्रयोजन के लिए न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ-कंपनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसके उपयोग की कोशिश की जाएगी.
- viii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सुरत में संस्था या उसकी निधि का उपयोग धारा ८०-जी (५)(iii) के अधीन निषिद्ध किसी विशेष धर्म या जाति या अनुचय के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा.
- ix) संस्था धी न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ-कंपनी के प्रबंधक न्यासी या प्रबंधक के धारे में धताए औरबसाए गए देस्यों को पूरा करने के लिए न्यास या संस्था के किया कलाप कहीं किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना है इसकी सूचना इस कार्यालय एवं निर्धारण अधिकारी को देनी होगी.
- x) यदि नवीकरण के लिए कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया हो तो आस्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा या किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा इस संबंध में इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जायेगा.
- xi) धार्मिक व्यय कुल आय के ५% से अधिक नहीं होगा.

आयकर अधिनियम १९६१,की धारा ८० जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र न्यास या संस्था की आय को अपने आप छूट नहीं देता



प्रतिनिधि - १.) आवेदक २.) गार्ह धंईज

- ५० -
(आर.के.सिन्हा)
आयकर निदेशक (छूट), मुंबई.

११-१
(मनुभास देवा)
आयकर अधिकारी (तकनीकी), मुंबई.
कृते आयकर निदेशक(छूट), मुंबई